उत्तर प्रदेश शासन
आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2
संख्या-6/2020/78-2-2020/108आईटी/2017
लखनऊ, दिनांक 19 मार्च,2020
शुद्धि-पत्र

आईटी विजन एवं ई-गवर्नेन्स रोड मैप तैयार करने हेतु चयनिय संस्था को रू0 46.61 लाख की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्ग त किये जाने विषयक आईटी एवं इले0 अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-721/78-2-2020/108आईटी/2017 दिनांक 10-1-2020 में अंकित लेखा शीर्षक ''2852-उद्योग-15 सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2012 हेतु नीति कार्यान्वयन इकाई का गठन 16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान" के स्थान पर लेखा शीर्षक ''2852-उद्योग-07 दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक्स उद्योग-202- इलेक्ट्राक्निक्स-15 सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2012 हेतु नीति कार्यान्वयन इकाई का गठन 16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान" पढा जाए।

2- उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 10-01-2020 के उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। शासनादेश में उल्लिखित शर्ते/ प्रतिबन्ध यथावत रहेगें।

भवदीय,

(बराती लाल)
संयुक्त सचिव

संख्या-6/2020(1)/78-2-2020 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकर (लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. उद्योग निदेशक, कानपुर, उ0प्र0।
3. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0।
6. संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8. उप महाप्रबन्धक यूपीएलसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि भविष्य में वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताओं को सम्यक परीक्षणोंपरान्त शासन को प्रेषित किया जाए ताकि इस प्रकार की त्रुटि न हो।
9. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4 ।
11. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-3/औद्योगिक विकास अनु0-2।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बराती लाल)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।